मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद (परीक्षा) (डी.एच.बी.) विनियम, 1982 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्रकाशन दिनॉक 16 अक्टूबर, 1982

(हिन्दी एवं अंग्रेजी)

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल—505/[illegible]

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम.पी.)

D.H.G (परीक्षा विनियम)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 378] भोपाल, शनिवार, दिनांक 16 अक्टूबर 1982—आश्विन 24, शके 1904

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 1982

क्र. 2674-का.-1-2-81-उन्नीस-डि-4.—मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 32 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 52 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य होम्योपैथी परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

विनियम

अध्याय 1—प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम.—इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राज्य होम्योपैथी परिषद् (परीक्षा) विनियम, 1982 है.

2. इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976);

(ख) "परीक्षा अधिकारी" से अभिप्रेत है विनियम 1 के अधीन नियुक्त किया गया परीक्षा अधिकारी;

(ग) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न प्ररूप;

(घ) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया परिषद् का रजिस्ट्रार;

(ङ) "अधीक्षक" से अभिप्रेत है विनियम 14 के खण्ड (1) के अधीन नियुक्त किया गया अधीक्षक;

(च) "[illegible]" से अभिप्रेत है [illegible]

(छ) [illegible]

अध्याय [illegible]

3. (1) परिषद् होम्योपैथी में [illegible] के लिये प्रत्येक वर्ष ऐसी तारीखों को तथा ऐसे स्थानों पर [illegible] जैसे कि परिषद् [illegible] परीक्षाएं [illegible]

(2) परीक्षा दो भागों में होगी, अर्थात्:—

(1) भाग एक परीक्षा

(2) अंतिम परीक्षा

4. (1) भाग एक परीक्षा तथा अंतिम परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न-पत्र होंगे:—

भाग एक परीक्षा

प्रश्न-पत्र पहला	..	अकार्बनिक तथा कार्बनिक रसायन शास्त्र.
प्रश्न-पत्र दूसरा	..	शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान.
प्रश्न-पत्र तीसरा	..	होम्योपैथी [illegible] [illegible]
प्रश्न-पत्र चौथा	..	साधारण [illegible] तथा प्रथमोपचार.
प्रश्न-पत्र पांचवां	..	औषध शास्त्र (मटेरिया मेडिका) 30 होम्योपैथी तथा [illegible] औषधियां.

अंतिम परीक्षा

प्रश्न-पत्र छठा	..	रोगों का रोग विज्ञान (पैथालॉजी) का ज्ञान तथा शल्य रोगों [illegible]
प्रश्न-पत्र सातवां	..	चिकित्सा विज्ञान (थेरापियेटिक्स), रोग-निरोध विज्ञान (प्रोफीलेक्सिस), [illegible]

प्रश्न पत्र आठवां	.. चिकित्सा न्याय शास्त्र, प्रतिकूल (एंटीपैथिक) तथा विषम चिकित्सा (हैट्रोपैथिक) उपचार.		
प्रश्न पत्र नौवां	.. औषध शास्त्र (मटेरिया मेडिका) (34 होम्योपैथिक औषधियां).		
प्रश्न पत्र दसवां	.. स्त्री रोग विज्ञान तथा प्रसूति विज्ञान (शल्य विज्ञान का संक्षिप्त ज्ञान).		

(2) अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यार्थियों को निम्नलिखित विषयों में प्रायोगिक परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा देनी होगी, अर्थात्:—

(क) होम्योपैथी का सामान्य ज्ञान, तथा

(ख) स्त्री रोग विज्ञान तथा प्रसूति विज्ञान.

(3) प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिये तीन घंटे का समय अनुज्ञात होगा.

(4) परीक्षा का माध्यम, विनियम 9 के खंड (एक) के अधीन आवेदन पत्र में दिये अनुसार अभ्यार्थी के विकल्प पर हिन्दी तथा अंग्रेजी होगा.

5. विनियम 4 के अधीन प्रत्येक प्रश्न पत्र अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार होगा.

6. (1) भाग एक तथा अंतिम परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट अंकों का होगा तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यार्थी को उक्त सारणी के कालम (4) में विनिर्दिष्ट अंक अभिप्राप्त करने होंगे:—

सारणी

प्रश्न पत्र	विषय	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
(1)	(2)	(3)	(4)
	भाग एक परीक्षा		
प्रश्न पत्र पहला	अकार्बनिक तथा कार्बनिक रसायन शास्त्र.	100	40
प्रश्न पत्र दूसरा	शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान.	100	40
प्रश्न पत्र तीसरा	होम्योपैथी, जीवरसायन शास्त्र तथा आहारिकी (डायटेटिक्स) के सिद्धांत.	100	40
प्रश्न पत्र चौथा	साधारण निदानात्मक प्रणाली तथा प्रथमोपचार.	100	40
प्रश्न पत्र पांचवां	मटेरिया मेडिका 30 होम्योपैथी तथा 12 जीवरसायन औषधियां.	100	40
	अंतिम परीक्षा		
प्रश्न पत्र छठा	रोगों का ज्ञान, रोग विज्ञान का तथा अन्य रोगों का निदान.	100	40
प्रश्न पत्र सातवां	चिकित्सा विज्ञान, रोग निरोधविज्ञान, व्यक्तिगत तथा लोक स्वास्थ्य विज्ञान.	100	40
प्रश्न पत्र आठवां	चिकित्सा न्याय शास्त्र, प्रतिकूल (एंटीपैथिक) तथा विषम चिकित्सा (हैट्रोपैथिक) उपचार.	100	40
प्रश्न पत्र नौवां	औषध शास्त्र (मटेरिया मेडिका) (34 होम्योपैथी औषधियां).	100	40
प्रश्न पत्र दसवां	स्त्री रोग विज्ञान तथा प्रसूति विज्ञान (शल्य विज्ञान का संक्षिप्त ज्ञान).	100	40

(2) प्रायोगिक तथा मौखिक परीक्षा के लिए अंक, नीचे दी गई सारणी की कालम (2) में विनिर्दिष्ट अंकों के अनुसार होंगे तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यार्थी को उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट अंक प्राप्त करने होंगे:—

सारणी

(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	होम्योपैथी का सामान्य ज्ञान	80	48
(ख)	स्त्री रोग विज्ञान तथा प्रसूति विज्ञान	50	20
(ग)	मौखिक परीक्षा	20	12

(3) जहां किसी अभ्यार्थी द्वारा दो से अनधिक किसी भी प्रश्न पत्र में प्राप्त कुल अंक संबंधित प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित अंकों से कम हों और यदि परिषद् इस प्रकार कम पड़ने वाले अंकों में उतनी वृद्धि करना वांछनीय समझे कि अभ्यार्थी उस प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण हो सके तो वह कम पड़ने वाले अंक बढ़ा सकेगी.

अध्याय ३

7. (1) ऐसे किसी भी अभ्यार्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा—

(एक) जिसने किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश लेने के वर्ष की 31 दिसम्बर को [illegible] वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो;

(दो) जिसने [illegible] माध्यमिक शिक्षा मण्डल की [illegible] परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा, जिसे राज्य सरकार द्वारा उस रूप में मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण न कर ली हो;

(तीन) जिसे परिषद् द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित छात्र के रूप में नामांकित न किया गया हो;

(चार) जिसने किसी मान्यता प्राप्त संस्था में भाग-एक की परीक्षा के लिए कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष की कालावधि के लिए और भाग-एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अंतिम परीक्षा के लिए कम से कम एक वर्ष की कालावधि का नियमित प्रशिक्षण पूरा न कर लिया हो और प्रत्येक विषय में दिए गए व्याख्यानों में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत व्याख्यानों में उपस्थित न रहा हो;

परन्तु जहां मान्यता प्राप्त संस्था का विद्यार्थी, स्वयं की बीमारी के कारण पचहत्तर प्रतिशत व्याख्यानों में उपस्थित न हो सका हो और उस आशय का रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उस संस्था के प्राचार्य ने परीक्षा में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रारूप एक में उसके मामले की सिफारिश की हो तो यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जावे तो वह इस निमित्त दस प्रतिशत तक छूट प्रदान कर सकेगा.

(पांच) जो, यथास्थिति, भाग-एक परीक्षा या अंतिम परीक्षा में 3 वर्ष की कालावधि में, 4 बार अनुत्तीर्ण हो चुका हो;

(छठा) जो एक सूचीबद्ध चिकित्सा व्यवसायी न हो.

(2) खण्ड (एक) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यार्थी को परीक्षा में प्रवेश हेतु अधिमान्यता दी जाएगी; जिसने उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा, जिसे राज्य सरकार द्वारा उस रूप में मान्यता दी गई हो, विज्ञान विषय लेकर उत्तीर्ण की हो.

अध्याय 4

8. (1) प्रत्यक अभ्यार्थी, जो परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता हो, मान्यता प्राप्त संस्था के छात्र के मामले में प्रारूप एक में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा जो उस मान्यता प्राप्त संस्था, जहां उसने प्रशिक्षण लिया हो, के प्राचार्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुशंसित होगा तथा अग्रेषित किया जाएगा, और सूचीबद्ध अभ्यार्थी के मामले में, उस मान्यता प्राप्त संस्था के प्राचार्य की मार्फत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसे उसने परीक्षा केन्द्र के रूप में चुना है.

(2) परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक अभ्यार्थी को, अनुसूची दो में उल्लिखित दरों पर फीस का भुगतान करना होगा.

(3) खण्ड (2) के अधीन अपेक्षित फीस का भुगतान, किसी मान्यता प्राप्त संस्था के छात्र के मामले में संबंधित मान्यता प्राप्त संस्था की मार्फत और ऐसे अभ्यार्थी के मामले में, जो मान्यता प्राप्त संस्था का छात्र न हो, परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र के साथ सीधे परिषद् को किया जाएगा.

(4) जब कोई अभ्यार्थी, परीक्षा के दौरान बीमार पड़ जाता है तो उसे खण्ड (2) के अधीन विहित दरों की आधी दर पर फीस का भुगतान करने पर आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति दी जाएगी.

(5) खण्ड (4) के अधीन रियायत का लाभ उठाने वाले इच्छुक अभ्यार्थी, परीक्षा के अंतिम दिन से 15 दिन के भीतर अपनी बीमारी के तथा परिषद् को देंगे जिसके समर्थन में चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न होगा.

(6) ऐसे अभ्यार्थी के मामले में, जो नियमित छात्र नहीं है, खण्ड (1) के अधीन आवेदन-पत्र पर चिपकाया गया अभ्यार्थी का फोटोग्राफ तथा उस पर उसके हस्ताक्षर किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित किए जायेंगे.

9. (1) विनियम 8 के खण्ड (1) के अधीन परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र इस संबंध में परिषद् द्वारा घोषित तारीख को या उसके पूर्व परिषद् के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए.

(2) खण्ड (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विनियम 8 के खण्ड (1) के अधीन आवेदन-पत्र, खण्ड (1) के अधीन परिषद् द्वारा घोषित अंतिम तारीख से 15 दिन से अनधिक कालावधि के दौरान 10 रुपये के विलंब शुल्क का भुगतान करने पर और पन्द्रह दिन की समाप्ति के पश्चात् 15 रुपये के विलम्ब शुल्क का भुगतान करने पर स्वीकार किया जा सकेगा.

10. (1) परिषद्, यथास्थिति, भाग-एक या अंतिम परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख से तीन मास से अनधिक कालावधि के भीतर पूरक परीक्षा आयोजित करेगी.

(2) ऐसा कोई अभ्यार्थी, जो परीक्षा में एक विषय में उत्तीर्ण हुआ हो, आगामी पूरक परीक्षा और/या आगामी वार्षिक परीक्षा में भूतपूर्व छात्र के रूप में बैठ सकेगा. यदि कोई अभ्यार्थी विनियम 7 के उप खण्ड (1) के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसे प्रयासों में उस परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे, किसी मान्यता प्राप्त संस्था की मार्फत नियमित छात्र के रूप में या भूतपूर्व छात्र के रूप में उस परीक्षा में सभी प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना पड़ेगा.

(3) पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाला प्रत्येक अभ्यार्थी विनियम 8 के खण्ड (3) के अधीन विहित रीति में अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का भुगतान करेगा.

(4) विनियम 7 के खण्ड (1) के उप खण्ड (चार) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कोई अभ्यार्थी, भाग-एक परीक्षा की पूरक परीक्षा में बैठने का पात्र है और अंतिम परीक्षा के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अपेक्षित संख्या में व्याख्यानों में उपस्थित होता है, तो उसे इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी कि अंतिम परीक्षा का परिणाम तब तक घोषित नहीं किया जायगा जब तक कि भाग-एक के परिक्षा परिणाम में उसे उत्तीर्ण घोषित नहीं कर दिया जाता.

11. परिषद् का रजिस्ट्रार या परिषद द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा अधिकारी होगा और उसके निम्नानुसार कर्त्तव्य होंगे:—

(1) जब भी आवश्यक हो, प्रश्न पत्र तैयार करने वाले से प्रश्न पत्रों का अनुसीमन (मॉडरेशन) कराना;

(2) परिणामों की घोषणा होने तक उन सभी बातों में गोपनीयता बनाए रखना जो परीक्षा के सुचारु संचालन के लिये आवश्यक हो.

(3) परीक्षा में संचालन के लिये आवश्यक सभी कार्य करना.

12. (1) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि विनियम के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र सभी दृष्टियों से पूर्ण है, तो वह प्रारूप दो में अभ्यार्थियों के परीक्षा केन्द्र का उल्लेख करते हुए, एक प्रवेश पत्र जारी करेगा जिसके द्वारा अभ्यार्थी परीक्षा में बैठने का हकदार होगा.

(2) यदि खंड (1) के अधीन जारी किया गया प्रवेश पत्र गुम जाय और अभ्यार्थी उसकी दूसरी प्रति के लिये आवेदन करता है तो ऐसी दूसरी प्रति अभ्यार्थी द्वारा 5 रुपये की फीस का भुगतान किया जाने पर, प्रदाय की जा सकेगी.

(3) खंड (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अभ्यार्थी प्रवेश पत्र में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा केन्द्र बदलने के लिये आवेदन करता है तो उसे 20 रुपये की फीस का भुगतान करने पर केन्द्र बदलने की अनुमति दी जा सकेगी.

13. विनियम 4 में उल्लिखित प्रत्येक प्रश्न पत्र, परिषद् द्वारा नियुक्त परीक्षा द्वारा तैयार किया जाएगा.

14. (1) किसी केन्द्र में परीक्षा, इस संबंध में परिषद् द्वारा नियुक्त अधीक्षक द्वारा संचालित की जाएगी जिसके सहायता के लिये ऐसे वीक्षक (इन्विजिलेटर्स) अन्य कर्मचारी होंगे जो कि उसके द्वारा

नियुक्त किये जायें. वह परीक्षा के सुचारु संचालक के लिये आवश्यक प्रबंध करेगा और परीक्षा अधिकारी से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगा.

(2) अधीक्षक, वीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों को, जो केन्द्र पर अधीक्षक की सहायता के लिये नियुक्त किये जाय, ऐसी दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा जो परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय.

(3) परिषद्, परीक्षा के संचालन के लिये, ऐसी दर से व्यय मंजूर कर सकेगी जैसा कि वह समय-समय पर अवधारित करे तथा ऐसी दर पर मंजूर किये गये व्यय रजिस्ट्रार तथा केन्द्र के भारसाधक अधीक्षक द्वारा उपात किया जा सकेगा.

15. (1) मुहरबंद लिफाफों में प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकायें तथा परीक्षा के लिये प्रत्येक केन्द्र के अधीक्षक को परिषद् द्वारा प्रदाय की जाएगी.

(2) प्रश्न पत्र के लिफाफे तथा अन्य सामग्री प्राप्त होने पर अधीक्षक उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और परीक्षा समय के पन्द्रह मिनट पूर्व केन्द्र के कम से कम एक वीक्षक (इन्विजिलेटर) की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के लिफाफों की सीलें खोलेगा.

(3) परीक्षा का समय समाप्त होने के पश्चात् अधीक्षक केन्द्र की सभी उत्तर पुस्तिकायें एकत्रित करेगा और उन्हें एक लिफाफे में सील बंद करेगा और प्रत्येक प्रश्न पत्र के सील बंद लिफाफे इस संबंध में परीक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, परीक्षा अधिकारी को भेज देगा.

16. (1) जहां अधीक्षक को स्वयं या किसी वीक्षक (इन्विजिलेटर) द्वारा सूचित किये जाने पर यह पता चलता है कि कोई अभ्यार्थी परीक्षा कक्ष के भीतर या बाहर अनुचित तरीके अपना रहा है वहां वह प्रारूप तीन में इस आशय का विवरण लिखेगा और उस पर अभ्यार्थी के हस्ताक्षर ले लेगा, उस पर स्वयं प्रति हस्ताक्षर करेगा और उसे पृथक सीलबन्द लिफाफों में आवश्यक कार्यवाही के लिये रजिस्ट्रार को भेज देगा.

(2) जहां केन्द्र अधीक्षक को स्वयं या किसी वीक्षक (इन्विजिलेटर) द्वारा सूचित किया जाने पर यह पता चलता है कि किसी अभ्यार्थी ने अधीक्षक, वीक्षक या परीक्षा के संचालन में कार्यरत किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया है या परीक्षा के संचालन में कोई विघ्न पैदा की है या परीक्षा हाल में कोई अव्यवस्था फैलाई है वहां अधीक्षक, ऐसे अभ्यार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर निकाल सकेगा.

17. जब अभ्यार्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर, इस प्रयोजन के लिये नियत स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान पर अपना अनुक्रमांक (रोल नंबर) लिखता है या उत्तर पुस्तिका पर ऐसा कोई चिन्ह लगाता है या कुछ लिखता है जो प्रश्नों के उत्तर से संबंधित न हो तो परिषद् ऐसी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन न करने का आदेश दे सकेगी.

18. (1) परिषद्, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था ऐसे तरीके से करेगी जैसा कि उसके द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाए.

(2) परिषद् खंड (1) के अधीन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिये उतने मूल्यांकनकर्ता नियुक्त कर सकेगी जितने भी वह आवश्यक समझे, और उन्हें ऐसी दरों पर पारिश्रमिक और यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान करेगी जैसा वह उचित समझे.

19. (1) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा होने के पश्चात् परिषद उनके सारणीकरण (टेबुलेशन) का कार्य तथा ऐसे अन्य कार्य करायेगी, जिनका किया जाना आवश्यक हो और परीक्षा परिणाम घोषित करेगी.

(2) परिषद् खंड (1) के अधीन सारणीकरण के कार्य और अन्य कार्य में लगे व्यक्तियों को ऐसी दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान कर सकेगी, जो वह उचित समझे.

20. विनियम 19 के खंड (2) के अधीन सारणीकरण के अनुसार योग्यता क्रम में अधिकतम अंक पाने वाले पहले दस छात्रों को प्रतिष्ठा सूची में और इस प्रकार घोषित क्रम में परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा.

21. विनियम 20 के खंड (1) के अधीन परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् परीक्षा में बैठे प्रत्येक अभ्यार्थी को, परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में उसके द्वारा प्राप्त अंकों की सूची भेजी जाएगी.

22. (1) जब कोई अभ्यार्थी, अंक सूची देखने पर यह महसूस करता है कि किसी प्रश्न पत्र में मिले कुल अंक गलत है, तो वह अंक सूची प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, ऐसे प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों के अंकों के पुनर्योग के लिये रजिस्ट्रार से निवेदन कर सकेगा.

(2) खंड (1) के अधीन पुनर्योग के लिये किये गये आवेदन-पत्र के साथ प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिये 10 रुपये की फीस के भुगतान का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा.

(3) खंड (2) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार संबंधित प्रश्न पत्र में अंकों के पुनर्योग के लिये व्यवस्था करेगा और अभ्यार्थी को उसके परिणाम से संसूचित करेगा.

(4) जहां विनियम 21 के अधीन दी गई अंक सूची में दर्शाये गये अंकों का योग गलत पाया जाता है, वहां अभ्यार्थी द्वारा खंड (2) के अधीन जमा की गई फीस उसे वापस कर दी जाएगी.

23. जहां अभ्यार्थी अंक सूची की दूसरी प्रति के लिये आवेदन करता है, वहां रजिस्ट्रार अभ्यार्थी द्वारा 10 रुपये की फीस का भुगतान करने पर दूसरी प्रति दे सकेगा.

24. (1) परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यार्थी को धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन आयोजित दीक्षान्त समारोह में प्रारूप चार में इस आशय की पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्रदान की जाएगी और जहां कोई अभ्यार्थी दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने में असमर्थ हो, वहां उसे दीक्षान्त समारोह के पश्चात् पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्रदान की जाएगी.

(2) अभ्यार्थी, दीक्षांत समारोह में उसे पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्रदान किये जाने के पूर्व 10 रुपये की फीस का भुगतान करेगा, और यदि वह दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो वह पत्रोपाधि प्राप्त करने से पूर्व 20 रुपये की फीस का भुगतान करेगा.

25. जहां विनियम 24 के खंड (1) के अधीन प्रदान की गई पत्रोपाधि (डिप्लोमा) गुम हो जाती है और यदि अभ्यार्थी उसकी दूसरी प्रति के लिये आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार इस बात से अपना समाधान कर लेने पर कि पत्रोपाधि (डिप्लोमा) का गुम हो जाना सही है, उसकी दूसरी प्रति प्रदान कर सकेगा।

(2) खंड (1) के अधीन पत्रोपाधि (डिप्लोमा) की दूसरी प्रति के लिये आवेदन करने वाले अभ्यार्थी को 10 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा।

26. मध्यप्रदेश होम्योपैथिक एण्ड बायोकेमिक प्रेक्टिशनर्स रेगुलेशन्स 1966 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं, सिवाय उन बातों के जो कि ऐसे निरसन के पूर्व की गई है या करने से छोड़ दी गई है.

अनुसूची एक

(विनियम 5 देखिये)

होम्योपैथी तथा बायोकेमिस्ट्री में दो वर्ष की पत्रोपाधि (डिप्लोमा) का पाठ्यक्रम (डी. एच. बी. पाठ्यक्रम)

प्रश्न पत्र क्रमांक एक—इनआर्गेनिक तथा आर्गेनिक शास्त्र

1. तत्व, यौगिक तथा मिश्रण, द्रव्य तथा वस्तु की परिभाषा गुण तथा तुलना, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन.
2. द्रव्य का संघटन, अणु तथा परमाणु, परमाणु भार तथा अणुभार, द्रव्य की अविनाशिता, प्रतीक.
3. मोमबत्ती जलना तथा जलना आक्सीकरण तथा न्यूनीकरण, केवल उदाहरणों सहित परिभाषाएं, वायुमंडल, वायु संगठन तथा वायु के विभिन्न घटकों का ज्ञान.
4. जल के गुण तथा परीक्षण, प्राकृतिक जल, पीने का जल, कठोर जल तथा जल का शोधन.
5. घोल, विलायक, विलेय, घुलनशीलता, संतृप्त घोल.
6. अधातु, विरचन की प्रयोगशाला रीति, निम्नलिखित अधातु के गुण तथा उपयोग—

जैसे:—आक्सीजन, नाइट्रोजन, हाईड्रोजन, कार्बन डाई आक्साईड और क्लोरिन ठोस, गंधक (सल्फर), फासफोरस तथा कारबन.

द्रव्य:—अम्लताइड्रिक, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्युरिक अम्ल-अम्ल, आधार तथा लवण, परिभाषा, विरचन, प्रत्येक की उदाहरण, गुण तथा उपयोग.

7. धातु निम्नलिखित के गुण—

कैल्सियम, सोडियम, पोटेशियम, मेग्नेशियम तथा लोहा

निम्नलिखित यौगिक के गुण तथा महत्व—

कैल्सियम, कारबोनेट, फास्फेट तथा सल्फेट पोटेसियम, कारबोनेट, फासफेट, क्लोराईड तथा आयोडाईड मेग्नेशियम कारबोनेट, फास्फेट तथा सल्फेट फेरस, क्लोराईड, फास्फेट तथा सल्फेट.

आर्गेनिक रसायन

1. आर्गेनिक रसायन क्या है और उसका क्या महत्व है 'आर्गेनिक तथा इतरआर्गेनिक रसायन के बीच अन्तर.
2. कारबनों की चतु: संयोजकता (टेट्रावेलेन्सी) तथा कारबन परमाणुओं की बंधता.
3. आर्गेनिक मिश्रणों का शोधन.
4. वर्गीकरण (एक) एलफेटिक, (दो) एरोमेटिक मिश्रण (तीन) संतृप्त तथा असंतृप्त हाईड्रो कार्बन.
5. निम्नलिखित के विरचन की साधारण रीति, गुण तथा स्त्रोत—मैथेन, एथेन तथा उपरोक्त के महत्वपूर्ण हेलोजन व्युत्पन्न.
6. निम्नलिखित का संक्षिप्त तथा परिचयात्मक अध्ययन, मेथिल तथा एथिल, एल्कोहाल, ईथर, एल्डिहाईड, फार्मल्डीहाइड, एसीटोन, ग्लिसरीन, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, लेक्टोज, स्टार्च तथा सेलुलोज.
7. साधारण आहार, कार्बोहाईड्रेड, प्रोटीन, वसा, विटामिन, यूरिया, बैन्जीन की साधारण परिभाषा तथा उसके गुण, कैम्फर तथा एल्कोलाईड.

द्वितीय प्रश्न-पत्र एनाटामी तथा शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियालाजी)

व्यवहारिक दृष्टिकोण [illegible] को पढ़ाया जाना चाहिये [illegible] पढ़ाया जाना चाहिये.

1. एनाटामी तथा शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियालाजी) पर एक परिचयात्मक व्याख्यान.
2. कोष (सेल) मानव शरीर की एक इकाई के रूप में, संरचना, कृत्य उपापचन (मेटाबोलिज्म) तथा कोष (सेल) का विभाजन.
3. टिस्यूज: विभिन्न प्रकार, संरचना, कृत्य (फंक्शन) तथा शरीर में वितरण.
4. रक्त तथा उसका संघटन, निर्माण तथा स्कंदन (क्लाटिंग), खून बहना तथा जमना तथा रक्त समूह.

प्रायोगिक योजना (प्लान) में शरीर की विभिन्न प्रणालियां पढ़ाई जानी चाहिये जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:—

(एक) शरीर प्रणालि को बनाने वाले अंगों [illegible]

(दो) प्रत्येक अंग की एनाटामी [illegible] तथा [illegible]

(तीन) रक्त संचालन

(चार) केवल [illegible]

(पांच) केवल महत्वपूर्ण अंगों का संक्षेप में ऊतक विज्ञान (हिस्टोलाजी) और

(छ:) शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियालाजी) के कृत्यों का तंत्र विश्लेषण आदि.

अस्थि विज्ञान (अस्थियोलाजी)

5. चलन-संभरण (लोकोमीटर सिस्टम), हड्डियों तथा जोड़ों का बनाना, (एक) सकल संरचना, (दो) जोड़ तथा उसके घटक भाग (तीन) पेशियां तथा रेशें.

हड्डियां.—संपूर्ण ढांचे का सामान्य ज्ञान, हड्डियों के प्रकार, सकल संरचना, हड्डी की उपयोगिता, विद्यार्थी प्रारूपिक कशेरुक, प्रारूपिक पसली तथा एक्स्ट्रीमिटी की लंबी हड्डी का, पृष्ठी एनाटामी, महत्वपूर्ण अस्थिज लेण्डमार्क, हड्डियों सहित वाहिकाओं, तंत्रिकाओं तथा अंग के अंतरंग महत्वपूर्ण संबंधों की परिभाषा करने में समर्थ होना चाहिये, जोड़ों के प्रभेद उनके उदाहरणों सहित.

[illegible] मांसपेशियां [illegible].—एक्स्ट्रीमिटीज की मांसपेशियों के कार्य के अनुसार मांसपेशियों को समूहों में पढ़ाया जाना चाहिये.

[illegible] क्रियाविधि, उसका विनियमन [illegible] पर विशेष जोर दिया जाना चाहिये.

7. रक्तवाहिका तन्त्र (कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम).— हृदय उसकी संरचना तथा कार्य को विशेष महत्व दिया जाना चाहिये, [illegible] और परिसंचारी के बंद होने का सिद्धांत फेनामेना आफ सर्कुलेटरी फेल्योर.

8. पाचक संस्थान (डाईजेस्टिव सिस्टम):—जिव्हा, लार ग्रंथि तथा आमाशय [illegible] को विशेष महत्व दिया जाना चाहिये पक्वाशय (पित्ताशय) परिशेषिका (एपेन्डिक्स), रेक्टम तथा गुदनाल (एनल केनल), यकृत तथा पित्ताशय पाचन तथा अवशोषण की प्रक्रिया, गैस्ट्रिक जूस तथा पित्त का कार्य (फंक्शन) संक्षिप्त टिप्पणी अन्य का उपपाचन (मेटाबोलिज्म) [illegible].

9. मूत्रीय संस्थान (यूरिनरी सिस्टम).— गुर्दा तथा मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि, मूत्र के सामान्य संघटकों पर विशेष महत्व दिया जाना चाहिये.

10. त्वचा (स्किन).—संरचना एवं उसका कार्य (फंक्शन)

11. तंत्रिकीय संस्थान (नर्वस सिस्टम).—मस्तिष्क, उसकी [illegible] कपालीय तंत्री, रीढ़ [illegible] (स्पाईनल नर्व) प्रतिवर्त [illegible] (सिम्पेथेटिक) तथा पेरा [illegible] (पेरासिम्पेथेटिक) स्वायत्तीय संस्थान.

12. विशेष ज्ञानेन्द्रिय [illegible].—आंख, कान, नाक, जिव्हा तथा त्वचा.

13. जनन संस्थान (रिप्रोडक्टरी सिस्टम).—पुरुष तथा स्त्री के जनन संस्थान की एनाटामी.

14. एण्डोक्राइन संस्थान या नालिकाविहीन ग्रंथि (डक्टलेस ग्लैंड्स) संस्थान.—पीयूष (पिट्यूटरी), थाइराइड, अधिवृक्क (सुप्रारीनल), [illegible] प्लीहा (स्प्लीन) उसके सामान्य कार्य तथा हार्मोन [illegible] (मैकेनिज्म).

[illegible] प्रश्न-पत्र होम्योपैथी तथा बायोकेमिस्ट्री के सिद्धांत तथा आहारिकी (डायटेटिक्स).

1. आर्गेनान पर परिचयात्मक व्याख्यान (डाक्टर हनीमेन का परिचय तथा उनके जीवन का संक्षिप्त वर्णन).

2. होम्योपैथी के सात कार्डिनल सिद्धांत:—

(एक) प्रसमुच्चय (सिमीलिया), (दो) सिंपलेक्स, (तीन) न्यूनतम, (चार) जैव शक्ति (विटाल फोर्स) (पांच) चिरकाली रोग तथा मियास्मस, (6) औषध डायनेमीसेशन (सात) औषधि का प्रूफ निकालना.

3. आर्गेनान.—आर्गेनान का छटा संस्करण एक से 292 एफोरिस्मस तक उचित एफोरिस्म में पढ़ाया जाना चाहिये.

4. बायोकेमिस्ट्री के सिद्धांत तथा डाक्टर शुसलर का जीवन परिचय.

5. प्रथम प्रिस्क्रिप्शन के पश्चात् प्रेक्षण (आब्जरवेशन);

6. द्वितीय प्रिस्क्रिप्शन.

7. आहारिकी (डायटेटिक्स):—आहार के घटक (कान्स्टीट्यूएन्ट्स आफ डायट). संतुलित आहार तथा विटामिन्स.

चतुर्थ प्रश्न पत्र—सरल डाक्टरी पद्धति तथा प्राथमिक सहायता.

रोगी परीक्षण की डाक्टरी पद्धति तथा केस हिस्ट्री लिखना. सामान्य चिकित्सीय उपकरण तथा साधित तथा उनका उपयोग. प्राथमिक सहायता तथा पट्टी बांधना.

पंचम प्रश्न-पत्र—मैटीरिया मेडिका तथा फार्मेसी

औषधियों के विभिन्न स्त्रोतों पर साधारण परिचयात्मक व्याख्यान तथा ड्रग प्रूविंग का संक्षिप्त पुनर्विलोकन यह समझने के लिये कि होम्योपैथी की दवाई में उपचारीय शक्ति किस प्रकार अभिनिश्चित की गई है.

शीर्ष जिसके अंतर्गत औषधियां पढ़ाई जानी चाहिये.

(क) सामान्य नाम, प्राकृतिक क्रम, स्त्रोत, उपयोग में आये भाग,
(ख) ड्रग प्रूविंग के स्त्रोत.
(ग) फिजियालाजिकल एक्शन.
(घ) साधारण लक्षण.
(ङ) स्कीम के अनुसार लक्षण.
(च) मोडेलेटीज.
(छ) ड्रग रिलेशनशिप.
(ज) महत्वपूर्ण थेरापियोटिक्स.

विद्यार्थियों को प्रत्येक औषधि के विशेष लक्षणों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये (अन्य औषधियों के के साथ महत्वपूर्ण तुलना, पढ़ाने के मुख्य पाठ्यक्रम के बाहर भी की जा सकती है.)

होम्योपैथी की निम्नलिखित 30 दवाईयां, औषधियां तथा 12 टिशू साल्ट्स (बायोकेमिक औषधियां) पढ़ाई जाएगी:—

1. एकोनाईट नेप 11. सीपा 21 फासफोरस.
2. एनटीम टार्ट 12 पेलसेटिला 22 फायटोलेक्का.
3. आर्निका मोन्ट 13 ब्रेकाइटा 23 पोडोफायलम.

4. प्लैंटिगो मल्स 14 हिपर सल्फ 24 रुस्टाक्सिका.
5. बोटिसिया 15 इग्नेशिया 25 रसटाक्स.
6. बैलाडोना 16 इपेकाक 26 सिपिया.
7. ब्रायोनिया 17 लोकेसिस 27 स्टामोनियम.
8. कैलकेरिया कार्ब 18 लायकोपोडियम 28 सल्फर.
9. कैमोमिलिया 19 मरक्यूरियस 29 थूजा.
10. चाइना-20 नक्स वोमिका 30 वेराट्रम एल्ब

बायोकेमिक 12 साल्ट

1. केलकेरिया फ्लोर
2. केलकेरिया फास
3. केलेकेरिया सल्फ
4. फेरम फास
5. कालीमूर
6. कालीफास
7. काली सल्फ
8. मेग्नेशिया फास
9. नेट्रम मूर
10. नेट्रमफास
11. नेट्रम सल्फ
12. साइलेशिया

फार्मेसी

1. होम्योपैथी औषधि का परिचयात्मक विधिक मानक.
2. उनको तैयार करने के माध्यम तथा परिरक्षण, आसुत जल (डिस्टिल्ड वाटर).
3. तौल तथा माप और उनके समतुल्य.
4. होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल उपकरण तथा सविद उनकी सफाई.
5. होम्योपैथिक तथा बायोकेमिक्स औषधियों का स्त्रोत तथा उनका माध्यम.
6. औषधि पदार्थों को उपाप्त करना (प्राक्योरिंग आफ मेडिसिनल सब्सटेन्सेस) औषधियां तैयार करने की पद्धति (मिनरल्स, वेजिटेबिल्स एनिमल्स किंगडम तथा नोसोड) मदर टिन्चर्स, क्षीणन (अटेन्यूएशन) तथा संपेषण (ट्रिटुरेशन) (क) दशमलव (ख) सेन्टीसिमेला.
7. मेडिसीन डिस्पेन्सिग की पद्धिति.
8. वाह्य अनुप्रयोग (एक्सटर्नल ऐप्लीकेशन).
9. संक्षेप तथा संकेत.
10. प्रिस्क्रिप्शन लिखना.

डी एच. बी. भाग-दो

छटा प्रश्न-पत्र रोगों का ज्ञान, पैथालाजी तथा सर्जीकल रोगों का निदान

पढ़ाते समय जहां तक संभव हो, निम्नलिखित योजना (स्कीम) का अनुपालन किया जाना चाहिये:—

(1) संक्षिप्त परिभाषा
(2) ईटियोलोजी
(3) पैथालाजी
(4) क्लीनिकल पिक्चर (क्लीनिकल पिक्चर पर अधिकतम जोर दिया जाना चाहिये)
(5) रोग निदान के अन्तर्गत आता है (डिफरेन्शियल डायगनोसिस)
(6) आवश्यक जांच
(7) काम्पलीकेशन्स
(8) प्राग्नोसिस

1. आनुवंशिक और जन्मजात रोग
विशेषत: जन्मजात सिफलिस.

2- संक्रामक रोग तथा अन्य सामान्य ज्वर:—

(एक) प्रोटोजुआ द्वारा हुआ है:—मलेरिया, एमोएबिक डिसेंट्री तथा एमोबियेसिस.

(दो) जीवाणु रोग:—सेप्टि सिएमिया, फेमिया तथा इरीसिपेलास, सेरेब्रोस्पीनल फीवर, टायफाईड तथा पैरटायफाईड ज्वर कोढ़ी इन्फेक्शन, बैसीलारि डिसेन्ट्री, हैजा तथा फूडपोईजनिंग, हूपिंग कफ टिटेनस तथा डिफ्थीरिया. ट्यूबर क्यूलोसिस तथा कुष्टरोग, रिमुमैटिक फीवर.

(तीन) मेटोजील रोग:—गोलकृमि तथा हुकवर्म ग्रसन; फाईलेरियासिस.

(चार) वाईरस इन्फेक्शन: एन्फ्लुएंजा; मीजलस; मम्स; चिकन-पोक्स, स्माल पोक्स, रेबीज़, एन्सिफिलाइटिस तथा जिका.

(पांच) हीट स्ट्रोक.

विटामिन की न्यूनता वाले रोग:—
विटामिन ए बी काम्पलेक्स सी डी ई तथा वेवल्स रोग

4. उपापचयी रोग (मेटाबोलिक डिसीज़):
मधुमेह (डायबिटीज़ मेलाइटस) तथा गाउट.

5. रक्त संबंधी रोग:
(एक) विभिन्न प्रकार की रक्त क्षीणता (एनीमिया).
रक्त स्त्राव के रोग.

6. पाचन संबंधी रोग:

(1) मूखार्ति (स्टोमेटिस) तथा ग्लोसाइटिस (2) अग्निमान्द्य (डिस्पेप्सिया) एक्यूट तथा क्रोनिक आमाशय शोथ तथा पैप्टी व्रण (प्रेप्टिक अल्सर) (3) कोलिक कोलाइटिस, (4) उण्डुक शोथ (एपेन्डीसाइटिस), (5) भोज्य विषाक्तता (फूडपाजनिंग) शिशुओं का ग्रीष्म अतिसार (समर डायरिया) (6) यकृत, पित्ताशय संबंधी रोग, यकृत शोथ हेमाटाइटिस, यकृत सिरोसिस पित्ताशय शोथ

(कोल सिस्टाइटिस तथा पित्तीय (वाइलरी) कोलोलिथिसेसिस, (7) जीभ का कर्कट (कार्सिनोमा) पेट ग्रासनली (फोयसोफेगस) तथा रेक्टम, (8) पेट झिल्ली शोथ (पेरीटनीसिस), (9) असाईट्स तथा हेमेटेमोसिस.

मुन ोग (व्हेनेरियल डिसीजेज़):

(क) गोनोकोक्कल संक्रम तथा (दो) आतशक (सिफलिस).

श्वसन तंत्र के रोग:

(1) ट तथा ऊपर के श्वसन तंत्र का दीर्घकालीन संक्रमण नाक की नकसीर, तथा पोलिफस, टॉन्सिलिटिस तथा टॉन्सीलर एब्सेस.

) रक्तोत्पत्ति (हेमोटेरीसिस)

) तीक्ष्ण धसका (एक्यूट ब्रोन्काइटिस) तथा क्रानिक ब्रोन्काईटिस.

) का अस्थमा (बोंकियल अस्थमा)

) ब्रोंको निमोनिया तथा लोबर निमोनिया

) पलमोनरी ट्यूबरक्यूलासिस

) प्लूरिसी.

रिवहन तंत्र संबंधी रोग:

) कन (पल्पिटेशन) दुःश्वसन (डिस्फोनिया) साईन्कोप, साइनोसिस, हृदय की अतिपुष्टि (हाइपरट्राफी) तथा विस्तारण, श्रोडेमा.

) न का हृत्तालाभव (एरियमियास): हार्ट ब्लाक स्फूरण (फ्लटर) तथा तन्तुकीकरण (फाइब्रीलेशन).

) हृदयघात (हार्ट फेल्योर): मध्य हृदयघात (कार्डियाक फेल्योर) तथा पेरिफेरल सर्क्यूलेटरी फेल्योर या स्टाक.

) परकार्डिटिस के इन्फ्लेमेटरी रोग एण्डोकार्डिटीज तथा मायोकार्डिटीज.

) हृदय संबंधी जन्मजात रोग.

) हृदय संबंधी हृत्कपाट रोग आमवातिक हृदय

) एन्जीना पेक्टोरिस तथा कोरोनरी थ्रोम्बोसिस

) हृदय के रक्तचाप संबंधी रोग

) इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम का प्रारंभिक ज्ञान

) हाईपोटेंशन तथा हाईपर टेन्शन.

नाड़ी तन्त्र संबंधी रोग:

) सिर दर्द, माइग्रेन वर्टिगो

) अपस्मार, मिर्गी (हिस्टीरिया)

) तानिका शोथ (मैनिन्जाईटिस), एक्यूट एन्टीरियर पोलियोमैलिटीस.

) जलशीर्ष (हाईड्रोसेफालस)

) पक्षाघात (बेल्स पैरालिसिस) हेमीप्लोजिया तथा पराप्लोजिया.

(6) कोमा, रक्तमूर्छा (एपोलेक्सी) कोर्टेब्रेल हृ्योमोटेज (रक्तस्राव) तथा थ्रोम्बोसिस.

(7) उन्मतता (इनसेनिटी) तथा मानसिक अल्पता (मेन्टल डेफीसियन्सी).

11. मूत्र तंत्र के रोग:

(1) किडनी होफ्रिटीस

(2) रेनल कालकुलस तथा रेनल कॉलिक

(3) असामान्य मूत्रीय संघटक तथा उनका महत्व

(4) हेमूत्रूरिया

(5) रक्त मूत्र विषाक्ता (यूरोमिया)

(6) प्रोस्टेटिक सिन्ड्रोम

12. अन्त: स्त्रावी ग्रन्थि (एन्डोक्राइम ग्रन्थि संबंधी रोग : पिट्यूटरी, थाईराईड, अधिवृक्क (सुप्रेरेनल).

13. त्वचा के रोग :

डर्मीटिटीस सोरिएसिस इमोजोमा तथा अन्य चर्म प्रभावों पर संक्षिप्त टिप्पण.

14. चलन तंत्र के रोग (लोको मोटर सिस्टम): ओस्टेमाइलिटिस, विशिष्ट तथा अविशिष्ट संधिशोथ (आर्थिराईटिस) (रूमेटाइड आर्थिराईटिस पर विशेषबल) गठिया (रूमेटिज्म), ओस्टो आर्थोराईटिस.

15. महत्वपूर्ण शल्य चिकित्सीय अध्याय—जैसे हारनिया तथा हाईड्रोसिल:

(1) हारनिया तथा हाईड्रोसिल

(2) एक्यूट एब्डोमेन जैसे:—

(एक) एक्यूट अपेन्डिसाइटिस, (दो) एक्यूट इन्टेस्टिनल आब्स्ट्रक्शन, (तीन) पेप्टी छाले का बेधन (पेप्टिक अल्सर परफोरेशन) (चार) अस्थानी गर्भधारण (एक्टोपिक प्रेगनेंसी, (पांच) श्वासरोध हरनिया (स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया).

(3) उदर कालिक (एब्डोमिनल कालिक)

(4) उर चोट तथा मस्तिष्क चोट

(5) विभंग तथा विस्थापन

(6) मूत्र अवरुद्धता

(7) कोमा

(8) सामान्य तथा लोकल रक्तस्त्राव

(9) छाले (बर्न्स)

प्रश्न-पत्र सात—चिकित्सा विज्ञान (थैरेप्यूटिक्स), रोगनिरोध विज्ञान (प्रोफोलेक्सिस), वैयक्तिक तथा लोक स्वास्थ्य विज्ञान.

1. निम्नलिखित रोगों का चिकित्सा विज्ञान :

(1) गर्भावस्था तथा प्रसव (एक्यूसन एण्ड लेबर)

(2) एल्बीनेस ग्रावस्था (सेप्सर सहित)

(3) एमेनोरिया तथा ऋतुस्राव संबंधी (मेनस्ट्रुअल) गड़बड़ियां

(4) अनीमिया (खून की कमी) तथा हरा पांडु (क्लोरोसिस)

(5) एसिटीज के साथ में साधारण जलीय शोथ

(6) एपेन्डेसायटिस

(7) संधि प्रदाह तथा जोड़ों का दर्द

(8) कमर दर्द, कटिवात तथा गृध्रसी (साइटिका)

(9) वक्षस्थल के रोग

(10) मस्तिष्क रोग

(11) श्वास रोग (मुख्यतः), पुराना ब्राॅन्काइटिस, खांसी और स्लेष्मा.

(12) ब्रान्काइटिस, तिमोनिया, श्लेष्मा युक्त निमोनिया

(13) सूखा रोग (रिकेट्स) तथा बाल्य क्षय

(14) दंत रोग

(15) हैजा (कालरा)

(16) अतिसार (डिपरिया)

(17) पेचिश (डिसेन्ट्री)

(18) उदर शूल (कोलिक)

(19) उल्टी

(20) मुंह के रोग

(21) कान के रोग

(22) आंख के रोग तथा आघात

(23) त्वचा

(24) जठरता के साथ मंदाग्नि (अजीर्ण) तथा पाचन ग्रन्थियों का शूल.

(25) यकृत रोग तथा मूत्राशय दोषों के साथ पथरी

(26) बवासीर तथा फिस्टुला

(27) ज्वर, सामान्य, मलेरिया ज्वर तथा आन्त्र ज्वर

(28) शीत ज्वर (इन्फ्लुएन्जा)

(29) सूर्य आतपाघात (सन स्ट्रोक)

(30) खसरा (मीजल्स)

(31) चेचक (स्मालपाक्स)

(32) पक्षाघात

(33) गल शूल ग्रन्थि शोथ (टांन्सिलिटिस)

(34) आघात तथा घाव

(35) श्वेत प्रदर (ल्यूकोरिया)

2. रोग निरोधक दवाईयां.

3. वैयक्तिक आरोग्य विज्ञान—परिभाषा तथा महत्व, वैयक्तिक [illegible] वस्त्रोपं सामग्री, व्यायाम तथा स्वास्थ्य, आराम और निद्रा पर आजीविका का प्रभाव.

4. सार्वजनिक आरोग्य शास्त्र—आरोग्य शास्त्र तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य:

प्रस्तावना, आरोग्य शास्त्र की परिभाषा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उसका क्षेत्र तथा उपयोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन, स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन तथा सामान्य चिकित्सीय व्यवसायी के साथ उसका संबंध.

(क) जल तथा जल द्वारा फैलने वाली बीमारियां

(ख) हवा, हवा द्वारा फैलने वाली बीमारियां तथा संवातन

(ग) आवास तथा भवन.

(1) जलवायु तथा उसका स्वास्थ्य से संबंध, सूर्य प्रकाश और वर्षा.

(2) कूड़ा-करकट, मानव मल, गन्दी नाली तथा लाशों का व्ययन

(3) मेलों तथा धार्मिक समारोहों की स्वच्छता.

प्रश्न-पत्र आठ—चिकित्सा विधि शास्त्र, ऐलोपैथिक (एलोपैथिक) तथा विषम (हेट्रोपैथिक) चिकित्सा.

1. भारत में दांडिक न्यायालयों की विधिक प्रक्रियाएं तथा चिकित्सा व्यवसायियों के उत्तरदायित्व.

2. जीवित व्यक्तियों का परिचय तथा आयु.

3. चिकित्सा विधि तत्वों से शव परीक्षण एक्यूलेशन.

4. मृत्यु के प्रकार तथा अचानक मृत्यु के कारण.

5. घाव तथा आघात (वून्ड्स एण्ड इन्जोरीज).

6. नपुंसकता पुरुष एवं महिला में क्लीवता (स्टरिलिटी), कौमार्य (वर्जिनिटी), बलात्संग, असामान्य मैथुन संबंधी अपराध; रतिरोग (वेरेनियल डिसीज).

7. सगर्भावस्था (प्रेगनेन्सी), प्रसूति, गर्भपात, भ्रूण की विकासक्षम अवस्था तथा धर्मज शिशुता (इन्फेन्टीसाइड लेजीटिमेसी).

8. चिकित्सीय दृष्टिकोण से उन्माद, उन्माद, इन्बेसिलिटि मूढ़ता (आयडोलिसी) हिस्टीरिया तथा छद्म रोगी (मेलिंगरिंग) परीक्षण संबंधी (टेस्टामेन्ट्री) सक्षमता.

9. [illegible]

10. विष प्रयोग (टाक्सीकोलॉजी) मामलों में चिकित्सीय कर्तव्य, भारत में [illegible] इन विषों के कारण से विष प्रयोग [illegible] तथा चिकित्सा.

11. नैसर्गिक तथा विषम चिकित्सा.

प्रश्न-पत्र नौ—मटेरिया मेडिका

निम्नलिखित औषधियां पढ़ाई जाएंगी :—

1. एयूजा

2. एलो

3. एन्टीमोनियम क्रूड

4. एल्यूमिना
5. एनाकार्डियम
6. एपिस मिल्लीपिका
7. अर्जेन्टमनिट
8. बेरिटा कार्ब
9. केन्थेरिस
10. कार्बो वेजिटेबलिस
11. कास्टिकम
12. चेलीडोनियम
13. कालोसिन्थस
14. कोनियम
15. कूप्रम मेटालिकम
16. यूपेटोरियम प्रफोलियाटम
17. यूफ्रेसिया
18. हाम ओपियस
19. आइडियम
20. काली बाइक्रोम
21. काली कार्ब
22. म्यूरिएटिक एसिड
23. नेट्रम मूर
24. नाइट्रिक एसिडम
25. ओपियम
26. फास्फोरिक एसिड
27. सोरीनम
28. सिरेल कम्पूटम
29. साइलिसिया
30. स्पोन्जिया
31. स्टाफिसगेरिया
32. सिफोलीनम
33. ट्यूबर क्यूलीनम
34. जिंकम

प्रश्न पत्र—स्त्री रोग विज्ञान (गायनाकोलाजी) तथा प्रसूति विज्ञान (मिडवाइफरी) (शल्य विज्ञान का संक्षिप्त ज्ञान).

अतिरिक्त रोग निदान, प्रबन्ध तथा सामान्य चिकित्सा शास्त्र पर अधिक जोर दिया जायेगा, प्रश्नपत्र में होम्योपैथिक तथा उपचार पूछे जाएंगे.

(क) स्त्री रोग विज्ञान (गायनाकोलाजी).

(1) आर्तव (मेन्स्ट्रुएशन) की असामान्यता
(2) वन्ध्यता
(3) गर्भाशय भ्रंश (यूट्रस प्रोलेप्स) का विस्थापन तथा प्रत्यावर्तन (रिट्रोवर्शन).
(4) ल्यूकोरिया
(5) महिलाओं का कमर का दर्द (बैक एक)
(6) हेमोरेज पर वेजीनम, कारणों का अन्वेषण तथा उसकी व्यवस्था.
(7) जनन अवयवों का संक्रम, वल्वीटिस, वेजीनिटीस, एन्डिजिटीस ग्रीवा (सेविकल) की छीजन गर्भाशय झिल्लीशोथ (एन्डोमेटीटिस).
(8) रतिज रोग (वेनेरल डीसीस) गुल्म (ट्यूमर) छाती तथा जनन अवयवों का मेलीगनेन्ट तथा नान मेलीग-नेन्ट ट्यूमर.
(9) मूत्र का बारम्बार आना तथा रुकना.
(10) स्त्री रोग संबंधी मामले का परीक्षण.
(11) परिवार नियोजन पर कुछ व्याख्यान.
(12) होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान (थ्रेरेप्यूटिक्स)

(ख) प्रसूति विज्ञान (मिडवाईफरी)

(1) मादा श्रेणी की रचना तथा प्रजनन तन्त्र.
(2) आर्तव (मेन्स्ट्रुएशन) चक्र का प्रक्रम तथा क्रिया विज्ञान (फिजिओलोजी).
(3) डिम्बक्षरण गर्भाधान तथा गर्भनाल की बनावट (प्लेसिटी कारमेशन).
(4) सामान्य सगर्भावस्था, चिन्ह, लक्षण तथा भेदसूचक सायग्लोसिस, सगर्भावस्था के दौरान शरीर क्रिया में परिवर्तन.
(5) भ्रूण का विकास.
(6) सगर्भावस्था के रोग (क) अनीमिया, सगर्भावस्था का टोक्सेमिया, (ख) सगर्भावस्था, गदी, हृदय रोग राज यक्ष्मा (टी. बी.), फेफड़े तथा मधुमेह से, संबंध रोग.
(7) असामान्य सगर्भावस्था, एबार्शन तथा मिसकेरेज मोलीय सगर्भावस्था, गर्भस्थानी (एक्टोपिकजिस्टेशन) हाइड्रोमिनस बहु सगर्भावस्था, एन्टीपार्टम हेमरेज.
(8) एन्टनैटल केयर.
(9) सामान्य प्रसव, प्रसव की जटिलता तथा उसकी फिजिओ-लाजी, नियमित (गर्भ) स्थिति, सामान्य प्रसव की व्यवस्था प्रसव के पहले, दूसरे तथा तीसरे प्रक्रम.
(10) प्रसव के दौरान आपात स्थिति परीक्षण प्रसव, लिसोंठा प्रेक्षीभा.
(11) असामान्य प्रसव, पथ दोष, आकुंचित श्रेणी, ट्यूमर भ्रूण में दोष असामान्य (गर्भ) स्थिति तथा बहु सगर्भावस्था, गर्भाशय जड़ता (इनेरेशिया) आदि में दोष.
(12) शव परीक्षण, रक्तस्राव
(13) परपेरियम तथा दुग्धस्राव (लेक्टेशन) की व्यवस्था
(14) प्रसव आगमन, काल पुनः प्रसव (प्रिमेच्योरलेबर) तथा उसकी व्यवस्था.
(15) प्रसूत उसकी व्यवस्था बालक की व्यवस्था, शिशुओं की जन्म के समय की चोटें तथा उनके रोग.

(1) सामान्य और (2) स्त्री रोग विज्ञान तथा प्रसूति संबंधी.

अनुसूची दो

[विनियम 8 (2) तथा 10 (3) देखिए]

डिप्लोमा इन होम्योपैथी एण्ड बायोकैमिस्ट्री (डी. एच. बी.) परीक्षा फीस

		परीक्षा	अंकसूची	पोस्टेज
1.	भाग एक नियमित परीक्षा	100	10	5
2.	अंतिम नियमित परीक्षा	115	10	5
3.	भाग एक / अंतिम की पूरक परीक्षा के दो विषय.	65	10	5
4.	भाग एक पूरक परीक्षा के 2 से अधिक विषय.	100	10	5
5.	अंतिम परीक्षा की पूरक परीक्षा के 2 से अधिक विषय.	115	10	5
6.	भूतपूर्व / स्वाध्यायी अभ्यर्थी भाग एक परीक्षा.	100	10	5
7.	भूतपूर्व / स्वाध्यायी अभ्यर्थी अन्तिम परीक्षा.	115	10	5

आवेदन क्रमांक .....

भाग—एक अन्तिम
डी. एच. बी.
भूतपूर्व छात्र
स्वाध्यायी

प्ररूप—एक

[विनियम....का खंड (1) देखिए]

.....राज्य होम्योपैथी परिषद्,
मध्यप्रदेश, भोपाल

होम्योपैथी तथा बायोकैमिस्ट्री में पत्रोपाधी (डिप्लोमा) परीक्षा के लिये आवेदन-पत्र.

फोटो

प्रति,

रजिस्ट्रार,
राज्य होम्योपैथी परिषद्,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

महोदय,

मैं, राज्य होम्योपैथी परिषद्, मध्यप्रदेश की होम्योपैथी तथा बायोकैमिस्ट्री में पत्रोपाधी (डी.एच.बी.) की भाग एक / अंतिम परीक्षा में नियमित/भूतपूर्व/स्वाध्यायी छात्र के रूप में बैठना चाहता हूं. परीक्षा फीस के .....रुपये (शब्दों में रुपये.....) रसीद क्रमांक .....तारीख.....द्वारा जमा कर दिये गये हैं.

तारीख .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी द्वारा भरा जाय

(1) (अ) अभ्यर्थी का नाम तथा पिता/पति का नाम (अंग्रेजी में).....

(ब) अभ्यर्थी का नाम तथा पिता / पति का नाम (हिन्दी में).....

(2) पिता / पति या संरक्षक का नाम. .....

(3) स्थायी पता सहित डाकघर और जिला. .....

(4) वर्तमान पता जो पत्र-व्यवहार के लिए उपयोग में लाया जाता है. .....

(5) जन्म तिथि .....

(6) परीक्षा के विषय .....

(7) परीक्षा का माध्यम—हिन्दी/अंग्रेजी. .....

(8) एनरोलमेंट (नामांकन) क्रमांक .....वर्ष.....

(9) अंतिम परीक्षा के अभ्यर्थी के लिए भाग एक परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष. .....

(10) अंतिम परीक्षा का रोल नंबर जिसमें अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुआ है. .....

(11) स्वाध्यायी अभ्यर्थी के लिए भर्ती क्रमांक (इन्लिस्टमेंट नंबर) (प्रतिलिपि संलग्न की जाये). .....

तारीख.....

आवेदक के हस्ताक्षर

परीक्षा कक्ष में आवेदक के हस्ताक्षर.

(नियमित अभ्यर्थियों के लिए)

प्रति,

रजिस्ट्रार,
राज्य होम्योपैथी परिषद्,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी.....
आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री.....
(संस्था का नाम).....का नियमित छात्र है तथा उसने डी. एच. बी. भाग एक/अंतिम परीक्षा के विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है तथा उसे पूरा किया. आवेदक ने प्रत्येक विषय की न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण की है. आवेदक वर्ष..... की राज्य होम्योपैथी परिषद्, मध्यप्रदेश डी. एच. बी. के परीक्षा भाग एक / अंतिम परीक्षा के लिए अनुमति चाहता है.

आवेदक की विहित न्यूनतम उपस्थिति नहीं रही है. चिकित्सा प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है. आवेदक को परीक्षा में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुमति की सिफारिश की जाती है.

आवेदक की परीक्षा फीस रु.....
(रुपये.....) प्राप्त हो गई तथा परिषद् में बैंक ड्राफ्ट / मनीआर्डर / केश रसीद क्रमांक..... तारीख .....द्वारा जमा कर दी गई है.

इस आवेदन पत्र को विलंब शुल्क रु.....
(रुपये.....) सहित अग्रेषित किया जाता है.

आवेदक के विरुद्ध संस्था का कोई भी दायित्व या फीस वसूली हेतु बकाया नहीं है तथा उसने संस्था के सभी देय फीस जमा कर दी है.

तारीख.....
.....
प्राचार्य के हस्ताक्षर
तथा संस्था की मुद्रा.

(भूतपूर्व/पूरक/स्वाध्यायी अभ्यर्थियों के लिए)

रजिस्ट्रार,

प्रति,

राज्य होम्योपैथी परिषद्,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

आवेदक श्री /श्रीमती / कुमारी.....
आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री.....
डी. एच. बी. भाग एक / अंतिम परीक्षा में भूतपूर्व/स्वाध्यायी अभ्यर्थी/ पूरक के रूप में बैठने हेतु आवेदन-पत्र अग्रेषित किया जाता है. अभ्यर्थी ने आवेदन-पत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं और आवेदक का फोटो अनुप्रमाणित किया जाता है.

.....
आवेदक के हस्ताक्षर.

.....
अग्रेषणकर्ता अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मुद्रा.

भाग एक
अंतिम
भूतपूर्व
स्वाध्यायी.

राज्य होम्योपैथी परिषद्, मध्यप्रदेश, भोपाल

डी. एच. बी. वार्षिक/ पूरक परीक्षा, 19.....

(रोल नंबर के अतिरिक्त सभी प्रविष्टियां अभ्यर्थी द्वारा भरी जायेंगी मद क्रमांक 5 महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुप्रमाणित की जायगी)

भर्ती क्रमांक..... रोल नंबर.....

(1) आवेदक का नाम—

हिन्दी में .....

अंग्रेजी में .....

(2) पिता / पति का नाम.....

(3) स्थायी पता.....

(4) लिये गये विषय—

डी. एच. बी भाग-एक डी. एच. बी. अंतिम परीक्षा

जिसमें बैठना है:—

(1).....(6).....

(2).....(7).....

(3).....(8).....

(4).....(9).....

(5).....(10).....

(11) प्रायोगिक परीक्षा

आवेदक ने आवेदन-पत्र की समस्त प्रविष्टियां सही लिखी हैं तथा भरी हैं तथा अग्रेषण अधिकारी ने प्रारूप की प्रविष्टियों की सभी की जांच कर ली है. अनुत्तीर्ण / पूरक परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की दशा में अंक सूची की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न है.

परीक्षा फीस .... रुपये .... नकद प्राप्ति रसीद क्र. .... बैंक ड्राफ्ट/मनीआर्डर क्रमांक .... तारीख .... द्वारा जमा कर दिये हैं.

....

आचार्य/अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुद्रा. आवेदक के हस्ताक्षर.

(परिषद् कार्यालय के लिए)

(1) परीक्षा आवेदन-पत्र की जांच की गई तथा परीक्षा फीस प्राप्त हो गई है.

(2) परीक्षा आवेदन-पत्र विलंब फीस सहित स्वीकार किया गया.

(3) परीक्षा आवेदन-पत्र अस्वीकार किया गया—

1. विलंब फीस के लिए नियत तारीख के पश्चात् प्राप्त हुआ.
2. प्रारूप अपूर्ण भरा गया है.
3. प्रारूप, आचार्य या अग्रेषण अधिकारी द्वारा अग्रेषित नहीं किया गया है.
4. अभ्यर्थी का नामांकन नहीं हुआ है.
5. अन्य कारण.

....

परीक्षा लिपिक रजिस्ट्रार

प्रारूप-दो

[विनियम 12 (1) देखिये]

राज्य होम्योपैथी परिषद्, मध्यप्रदेश, भोपाल

डी. एच. बी. वार्षिक/पूरक परीक्षा 19....

(रोल नंबर के अतिरिक्त सभी प्रविष्टियां अभ्यर्थी द्वारा भरी जायं)

प्रवेश-पत्र

अनुक्रमांक .... नामांकन क्रमांक ....

रोल नंबर ....

श्री/श्रीमती/कुमारी ....

आत्मज/पत्नी/आत्मजा/श्री ....

को तारीख .... से प्रारंभ होने वाली डी. एच. बी. परीक्षा भाग एक/अंतिम परीक्षा में .... के नियमित या स्वाध्यायी अभ्यर्थी के रूप में .... केन्द्र से बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है.

भोपाल—462001

तारीख ....

.... रजिस्ट्रार.

गोपनीय

प्रारूप तीन

[विनियम 18 (1) देखिये]

राज्य होम्योपैथी परिषद्, मध्यप्रदेश, भोपाल

परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने या ऐसा करने का प्रयत्न करने के मामलों में रिपोर्ट करने का प्रारूप

डी. एच. बी. .... परीक्षा, 19..........

नामांकन/रजिस्ट्रेशन/भर्ती क्रमांक ....

अभ्यर्थी का नाम ....

रोल नं. ....

संस्था का नाम ....
(केवल नियमित अभ्यर्थी की दशा में)

नियमित/भूतपूर्व या स्वाध्यायी ....

केन्द्र का नाम ....

विषय तथा प्रश्न-पत्र जिसमें अभ्यर्थी ने अनुचित साधनों का उपयोग किया है या उपयोग करने का प्रयत्न किया है—

विषय .... प्रश्न-पत्र ....

दिन .... तारीख .... समय ....

....

पुस्तकों, कागज-पत्र आदि की विशिष्टियां जो अभ्यर्थी के कब्जे में पाई गई :—

(1) पुस्तकों के नाम .. ..

(2) पुस्तक या पुस्तकों से फाड़े गये पृष्ठों या पर्चियों की संख्या. ....

(3) केन्द्र अधीक्षक या वीक्षक (इनविजिलेटर) जिसने उसे पकड़ा है. .....

टिप्पणी:—अनुचित साधनों की सामग्री पर केन्द्र अधीक्षक या वीक्षक (इनविजिलेटर) द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे. अभ्यर्थी का कथन उसके स्वयं की हस्तलिपि में अभिप्राप्त की जायेगी.

( ) क्या उपर्युक्त वीजें आपके कब्जे से बरामद की गई? .....

(2) आपने उन्हें अपने पास क्यों रखा था? .....

( ) क्या आपने उनका कोई उपयोग किया है? .....

(4) क्या आपको और भी कुछ कहना है? (आप क्या कहना चाहते हैं?) .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह कथन मेरे सामने किया गया था तथा उसने कोई भी कथन करने से इन्कार किया था.

अधीक्षक .....

तारीख ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.

तारीख .....

समय .....

( ) वीक्षक (इनविजिलेटर) की रिपोर्ट :

.....

.....

तारीख ....

समय ..... वीक्षक के हस्ताक्षर.

---

(5) परीक्षा केन्द्र अधीक्षक की रिपोर्ट :
(यह निश्चित तथा असंदिग्ध होनी चाहिये)

यह प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी ने केवल एक / दो उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किया है या उसने दूसरी उत्तर पुस्तिका लेने से इन्कार किया.

तारीख ....

समय ..... अधीक्षक के हस्ताक्षर.

(6) मुख्य परीक्षक की रिपोर्ट :

1. क्या सामग्री प्रश्न पत्र के विषय से सुसंगत है? .....

2. क्या अभ्यर्थी ने सामग्री का कोई उपयोग किया है? यदि हां, तो किस प्रश्न में या किन-किन प्रश्नों में? .....

3. और कोई टिप्पणी यदि परीक्षक देना चाहता हो. .....

4. उत्तर पुस्तिका में प्राप्त किये गये अंक जिससे अनुचित साधनों का उपयोग करने का पता लगा था. .....

5. पता लगने के पश्चात् उसे दी गई कुल संख्या पुस्तिकाओं में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक. .....

तारीख ....

परीक्षक के हस्ताक्षर.

परिषद् का विनिश्चय : .....

परीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर.

प्ररूप चार

[विनियम 24 (1) देखिये]

अनुक्रमांक ..... रोल नं. .....

राज्य होम्योपैथी परिषद्, मध्यप्रदेश

सील

डिप्लोमा इन होम्योपैथी तथा बायोकैमिस्ट्री में पत्रोपाधि

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री ..... ने, केन्द्र ..... से परिषद् की होम्योपैथी तथा बायोकैमिस्ट्री में पत्रोपाधि परीक्षा वर्ष 19..... में उत्तीर्ण की है, और इस प्रमाण-पत्र का धारक मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, होम्योपैथी और बायोकैमिस्ट्री चिकित्सा में व्यवसाय करने का हकदार है.

भोपाल : ....

तारीख ..... अध्यक्ष / प्रशासक रजिस्ट्रार.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत चन्द्र चतुर्वेदी, उपसचिव.